न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

डॉ. राजेन्द्रसिंह भाटी पुत्र श्री फतहसिंह भाटी –एडवोकेट, मॉ बाली सती लॉ ऐसोसियेट्स, रावत शोपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कुल के पास, दूगड़ विद्यालय रोड, मुख्य बाजार, सरदारशहर, जिला चरू (राज0) 331403

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा) जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– **07/2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27–03–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 09–**10–2024** में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं **प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा** रेस्पोडेंट, के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 30–01–2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा) जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा** ने जरिये पत्रांक 22407 दिनांकित 12–03–2025 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना पूर्व में ही जरिये पत्रांक 25339 दिनांक 05–12–2024 से उपलब्ध करावा दी गई है। उक्त पत्र पर अपीलार्थी प्रार्थी के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्ति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त पत्र मौजूदा अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अपीलार्थी वक्त सूचनाई अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की मौजूदा प्रथम अपील दिनांकित 27–01–2025 खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)	